फर्द अहकाम

अंजता बनाम गणेश कुमार चौधरी वगै0

प्रार्थना पत्र संख्याः 168 / 2024

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
24.06.2024	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बावत् अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बावत् अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, रिपोर्ट सरिस्ता तलब हो चुकी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वय का शपथ पत्र एवं विवादित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड की छायाप्रतियॉ पेश की है। वकील प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुना। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। वहस वकील प्रार्थी व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर, अप्रार्थीगण को जवाव पेश होने तक जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि ग्राम ग्वार जाटान पटवार हल्का पुरूषोतमपुरा उर्फ दादिया भू0अ0नि0क्षे0 शिकारपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या 73 पुराना 34 में वर्णित खसरा नम्बर 37 रकवा 0.68 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बरान् 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 में मौके की यथास्थिति बनाये रखे। कोई आपत्ति हो तो हाजिर अदालत होकर पेश करे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। यदि प्रार्थी आगामी तारीख पेशी तक अप्रार्थीगण की रजिस्टर्ड नोटिस डाक रसीद पेश नही करते है तो उक्त स्थगन आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर आदेश 39 नियम 3 की पालना में दिनांक 15.07.2024 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)	
15/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० नोटिस जारी होकर 13/8/2024 को पेश हो। उप–खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)	
13/8/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व उसके अधिवक्ता उपस्थित नहीं वक्त अदालत प्रार्थी व उसके अधिवक्ता को बार – बार आवाज लगवाई मगर प्रार्थी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने से प्रार्थना पत्र अदम हाजरी [illegible] में खारिज किया जाता है पत्रावली [illegible] होकर [illegible] दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:13:57 IST
Reason: SelfAttested